VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र आस्तियों की घटती गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में गिरावट की समस्याओं से जूझता रहा। दबावग्रस्त आस्तियों से संबंधित विभिन्न समाधान योजनाओं को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए ढांचे को संशोधित किया गया और पूर्ववर्ती योजनाओं को बंद कर दिया गया। अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करते हुए उनके अधिकारों को मजबूत बनाया गया। साथ ही, डिजिटल भुगतान के माध्यमों की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाया गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के ग्राहकों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से तथा समय पर निराकरण करने के लिए जमा-राशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए लोकपाल योजना का प्रारंभ की गई। सहकारी बैंकों के लिए विनियामक नीतियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की विनियामक नीतियों को और अधिक सुसंगत बनाया गया। विनियमों को स्वामित्व निरपेक्ष बनाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफ़सी से यह अपेक्षा होगी कि वे बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का चरणबद्ध ढंग से अनुपालन करें।

VI.1 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट महसूस की गई, जिसका उनकी लाभप्रदता तथा ऋण संवृद्धि को सहारा प्रदान करने की क्षमता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। बैंकों के बढ़ते हुए बकाया ऋणों पर प्रतिक्रिया तथा दबावग्रस्त आस्तियों से संबंधित विभिन्न समाधान योजनाओं को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए पूर्व योजनाओं को हटाया गया और उनके समाधान के लिए सिद्धांत-आधारित एवं परिणामोन्मुख संशोधित फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसके अलावा, इस ढांचे ने पुनर्रचना के लिए पूर्व की विनियामक योजनाओं में सन्निहित विभिन्न प्रक्रियाओं तथा निविष्टि संबंधी बाध्यताओं को दूर किया। वित्तीय स्थिरता जोखिमों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु इन संस्थाओं के प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय संगुटों के नेटवर्क का विश्लेषण किए जाने का प्रस्ताव है। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाया गया। अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदंडों में और अधिक परिवर्तन किए गए, ताकि उनका दक्षतासंवर्द्धन किया जा सके।

VI.2 इसके अलावा, एनबीएफ़सी के ग्राहकों की शिकायतों के प्रभावी तथा समय पर निराकरण के लिए जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी के संबंध में लोकपाल योजना प्रारंभ की गई। आवश्यक वैधानिक संशोधनों के अभाव में एससीबी के मामले में भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया है, फिर भी ₹5 बिलियन तथा उससे अधिक निवल मालियत वाली एनबीएफ़सी को 1 अप्रैल 2018 से इंड-एएस कार्यान्वित करना है। स्वामित्व-निरपेक्ष विनियम बनाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफ़सी से अब यह अपेक्षा होगी कि वे बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का चरणबद्ध ढंग से अनुपालन करें। सहकारी बैंकों से संबंधित विनयामक नीतियों को और अधिक सुसंगत बनाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक में इन बैंकों के चालू खाता खोलने की विनियामक प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतियों को परिष्कृत करने से बैंकिंग प्रणाली की आघात-सहनीयता तथा सुदृढ़ता में वृद्धि होने की संभावना है।

वित्तीय स्थिरता इकाई (एफ़एसयू)

VI.3 वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से स्थिरता से संबंधित मामलों की निगरानी करना एफ़एसयू का दायित्व है। एफ़एसयू वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिमों की जांच कर के, प्रणालीगत दबाव परीक्षण और अन्य उपायों के माध्यम से समष्टिगत-विवेकसम्मत निगरानी रख कर और अर्द्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से वित्तीय स्थिरता की अवस्थिति और चुनौतियों से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार कर के इस दायित्व का निर्वहन करता है। देश में वित्तीय स्थिरता कायम रखने और समष्टिगत-विवेकसम्मत

विनियमन हेतु विनियमनकर्ताओं की समन्वय परिषद, अर्थात् वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में कार्य भी एफएसयू द्वारा किया जाता है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.4 निर्धारित योजना के अनुसार, एफएसआर का प्रकाशन जून 2017 तथा दिसंबर 2017 में किया गया। दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में हुई चूकों की क्षेत्रकीय संभाव्यता का आकलन करने की कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाया गया और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) का अनुमान लगाने की कार्यप्रणाली को आंतरिक रेटिंग आधारित फॉर्मूला का उपयोग करके, जोखिम भारित आस्तियों का गतिक रूप से अनुमान लगाकर संशोधन किया गया। इन कार्यप्रणालियों के आधार पर पाए गए निष्कर्षों को एफ़एसआर में प्रकाशित किया गया। साथ ही संक्रामकता (नेटवर्क) विश्लेषण को शहरी सहकारी बैंकों तक भी विस्तृत किया गया।

VI.5 एफएसडीसी की उप-समिति ने 2017-18 में दो बैठकों का आयोजन किया और विभिन्न मामलों की समीक्षा की, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई) की स्थापना, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा रजिस्टर किए गए सूचना साधनों को शुरू करना, विनियामकों के बीच सूचना का आदान-प्रदान, विधिक संस्था पहचाकर्ता (एलईआई) के कार्यान्वयन की अवस्थिति, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था (एसआईएफ़आई) के लिए फ्रेमवर्क, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए सामान्य प्रबंधन संहिता का कार्यान्वयन, बहुविध कार्यकलाप करने वाली एकल संस्था तथा केंद्रीय केवाईसी रजिस्टरी (सीकेवाईसीआर) की समीक्षा शामिल हैं। उप-समिति ने कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की अवस्थिति, उसके विभिन्न तकनीकी दलों की गतिविधियों तथा विभिन्न राज्यों /संघशासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की भी समीक्षा की। उक्त बैठकों में जिन अन्य मामलों पर चर्चा की गई वे थे - फिनटेक तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यदल की सिफ़रिशें, आभासी (शैडो) बैंकिंग कार्यान्वयन समूह, ऋण चक्र तथा वित्तीय स्थिरता, निवेशक शिक्षण तथा संरक्षा निधि (आईईपीएफ़), मुखौटा (शेल) कंपनियों पर की गई कार्रवाई, सीमा-पार दिवालियापन के लिए विधिक फ्रेमवर्क तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जमा-राशियों की स्वीकृति से संबंधित मामले।

VI.6 वर्ष के दौरान अंतर-विनियामक तकनीकी दल (आईआरटीजी), जो एफ़एसडीसी उप-समिति का उप-दल है, की दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) नियमावली में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप केवाईसी प्रक्रिया से संबंधित मामलों, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की संरचना में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन, एलईआई के कार्यान्वयन की स्थिति, विनियामकों के बीच सूचना को साझा करने तथा खाता समूहकों के लिए प्रौद्योगिकी विनिर्देश से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.7 आगामी वर्ष में, एफएसयू द्वारा समष्टिगत-विवेकसम्मत निगरानी, एफएसआर के प्रकाशन और एफएसडीसी उप-समिति तथा आईआरटीजी की बैठकों के आयोजन का कार्य किया जाता रहेगा। इसके अलावा, वर्तमान दबाव परीक्षण ढांचे/कार्यप्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा ताकि बैंकों के लिए, दबावग्रस्त परिदृश्य आधारित पर्यवेक्षी पूंजी अपेक्षाओं को अंततोगत्वा अपनाया जा सके। इसके अलावा, संक्रामकता (नेटवर्क) विश्लेषण का विस्तार करते हुए एनबीएफ़सी को इसके अंतर्गत लाया जाएगा।

वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.8 डीबीआर, वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन से संबंधित नोडल विभाग है। यह विभाग वित्तीय स्थिरता के अलावा उचित विनियामक उपायों के माध्यम से समावेशी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विनियामक ढांचे को भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित किया जाता है, यद्यपि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को समुचित रूप से अंगीकार किया गया है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) की शुरुआत

VI.9 बैंकों को निदेशित किया गया कि वे अपने मौजूदा बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं (अर्थात, जिनके पास ₹500 मिलियन और उससे अधिक का एक्सपोजर है) को सूचित करें कि वे 31 मार्च 2018 से 31 दिसंबर 2019 के बीच एलईआई प्राप्त कर लें। इस श्रेणी के जो उधारकर्ताओं ने एलईआई प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें ऋण सुविधाओं का नवीकरण/उसमें वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी। बैंकों को चाहिए कि वे अपने बड़े उधारकर्ताओं को उनकी मूल तथा सभी अनुषंगियों तथा सहयोगी संस्थाओं के लिए एलईआई प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।

दबाव ग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित पिछली योजनाओं को बंद करना

VI.10 दबावग्रस्त आस्तियों के संरचित समाधान के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक को विभिन्न योजनाएं, जैसे- कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना (एसडीआर) योजना, दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए) योजना, कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना (सीडीआर) योजना तथा संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ़) शुरू करनी पड़ीं, क्योंकि तब देश में कोई व्यापक दिवाला और शोधन अक्षमता कानून विद्यमान नहीं था। ये योजनाएं, संबंधित साहित्य सामग्री में यथा निर्धारित, किसी शोधन अक्षमता कानून के वांछनीय गुणों का अनुकरण करने के लिए बनाई गईं। इन योजनाओं में उधारदाताओं द्वारा उन्हें अपनाए जाने तथा परिणामी समाधान प्राप्त करने के संबंध में प्रोत्साहन अंतर्निहित थे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के अधिनियमित हो जाने के कारण इस तरह की विशिष्ट योजनाओं/दिशा-निर्देशों की आवश्यकता समाप्त हो गई, और इसके परिणामस्वरूप 12 फरवरी 2018 को एसडीआर, एस4ए, सीडीआर तथा जेएलएफ जैसी पूर्व योजनाएं/दिशा-निर्देश हटा दिए गए। इन योजनाओं को अब दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सुसंगत तथा सरलीकृत ढांचे से प्रतिस्थापित किया गया है (बॉक्स VI.1)

बॉक्स VI.1

दबाव-ग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित फ्रेमवर्क

अध्ययनों में यह पाया गया कि अनर्जक ऋणों के स्तर को कम करने से किसी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला मध्यावधिक प्रभाव सकारात्मक होता है। दूसरी ओर, इस समस्या को नजरअंदाज करने से आर्थिक कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि किसी अनर्जक ऋण के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण वृद्धि में होने वाली गिरावट, समस्या के समाधान किए जाने तक वार्षिक रूप से 2 प्रतिशत अंकों से अधिक होगी (बलोवा एवं अन्य, 2016)। वर्ष 1990 के शुरुआती दौर में जापान के अनुभव से यह पता चला कि आर्थिक अवरोध के कारण नए अनर्जक ऋण तेजी से उभर आते हैं और इनके कारण बैंकों की पूंजी में गिरावट आती है। इसके विपरीत, बैंकिंग संकट का तीव्र तथा प्रभावी समाधान प्रबल नकारात्मक आर्थिक प्रभावों की संभावना को रोकता है और संबंधित नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप कभी-कभी अनुकूल आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इस बात की पुष्टि नॉर्डिक अनुभव (स्टेईगम 2010) में की गई है। खराब ऋणों के समाधान के लिए बहुत सारी रणनीतियां तैयार की गई हैं, किंतु इनके समाधान के लिए अदालत के बाहर की गई पुनर्रचना तथा न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत औपचारिक ऋण शोधन क्षमता प्रक्रिया को समाहित करते हुए अपनाए जाने वाले नए उपागम की संस्तुति की जाती है (बीआईएस 2017)।

लंबे समय तक भारत में धनशोधन अक्षमता से संबंधित कोई कानून नहीं था और इसीलिए रिज़र्व बैंक को पुनर्रचना के विभिन्न ढांचे लागू करने पड़े, जिन्हें धनशोधन अक्षमता कानून की वांछित विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए बनाया गया था। इन योजनाओं में कुछ प्रेरक शामिल किए गए थे, ताकि उधारदाता इन योजनाओं को अपनाएं और शीघ्र समाधान प्राप्त हो सके। हालांकि, इन योजनाओं को बैंकों द्वारा सामान्यतः आस्ति-वर्गीकरण लाभों का फायदा उठाने के लिए लागू किया गया, इसके तहत अंतर्निहित दबाव के समाधान के लिए बैंकों द्वारा बहुत कम प्रयास किए गए।

वर्ष 1990 के दशक में जापान के तथा 2000 के दशक में ओईसीडी देशों (मैक गोवन *एवं अन्य*, 2017) के अनुभवों के संबंध में यह दलील दी जाती है कि उधार दिए जाने में मनाही के कारण अक्षम फ़र्मों का उद्भव होता है और उन्हें सुधारात्मक प्रयास न करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिसके परिणामस्वरुप किसी अर्थव्यवस्था में जोंबी फ़र्मों का अस्तित्व बना रहता है। उक्त में से बाद वाले अध्ययन ने जोंबी कंपनियों का अस्तित्व बने रहने के कारण निवेश तथा रोजगार में होने वाली वृद्धि पर पड़ सकने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा नई फ़र्म की बाज़ार में प्रविष्टि की सुगमता तथा उनकी उन्नति करने की क्षमता को भी दर्ज किया गया है। आचार्य एवं अन्य (2016)

(*जारी...*)

ने यूरोप के संदर्भ में, गैर-जोंबी फर्मों के निवेश और रोजगार में होने वाली वृद्धि पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रत्यक्ष मौद्रिक लेनदेन (ओएमटी) कार्यक्रम के तहत कमजोर पूंजी वाले बैंकों को हुए अप्रत्याशित लाभों के कारण ऋण के त्रुटिपूर्ण आबंटन से जोंबी कंपनियों की अधिकता के प्रभावों को दर्ज किया है। उधार देने में बाधाओं और समाधान योजनाओं, जो एक दूसरे का समर्थन करती हैं, को विकृत रूप में अपनाए जाने के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए देश में धनशोधन अक्षमता के मजबूत कानून की अपेक्षा है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) को अधिनियमित किए जाने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 में संशोधन किए जाने से रिज़र्व बैंक को विशिष्ट दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए आईबीसी तंत्र को लीवरेज करने के अधिकार प्राप्त हुए और उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने का वास्तविक अवसर प्राप्त हुआ। रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में बड़े मूल्य के दबावग्रस्त खातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर इस दिशा में कदम उठाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा 12 फरवरी 2018 को जारी किए गए "दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क" को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से दबावग्रस्त आस्तियों के शीघ्र समाधान को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम समझा जाना चाहिए, ताकि उधारदाताओं द्वारा अधिकतम राशि की वसूली हो सके। संशोधित ढांचे में अनर्जक आस्ति की परिभाषा को अपरिवर्तित रखा गया है, किंतु विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ब्राइट लाइन टेस्ट सहित, उन व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है, जिनका दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करते समय पालन किया जाना चाहिए।

संशोधित ढांचे की अंतर्निहित थीम उधारदाताओं तथा उधारकर्ताओं को यथा संभव लचीलापन प्रदान करना रही है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि समाधान योजना का कार्यान्वयन समय-सीमा के भीतर किया जाए और समाधान-योजना विश्वसनीय हो। यदि उधरदाता तथा बड़े दबावग्रस्त उधारकर्ता समय-सीमा के भीतर विश्वसनीय समाधान योजना नहीं स्थापित कर पाते हैं, तो उन्हें आईबीसी के तहत संरचित धनशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया का पालन करना होगा।

संशोधित ढांचे के अंतर्गत बैंक ऋणों के संदर्भ में एक दिन की चूक के लिए भी उसी तरह की अपेक्षित अनुशासनात्मक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जो कर्ज बाजार से पैसे की उगाही करने वाले उधारकर्ताओं पर लागू होती है। चूक की रिपोर्टिंग केंद्रीय डेटाबेस, जो सभी बैंकों के देखने के लिए उपलब्ध है, में होने के कारण यह अपेक्षा की जाती है कि ऋण अनुशासन में उल्लेखनीय सुधार होगा। हालांकि, भुगतान में हुई चूक उधारकर्ता पर वित्तीय दबाव का पश्चता संकेतक है, और इसलिए उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं के चूक किए जाने तक रुकने की बजाय शुरुआती दौर में वित्तीय दबाव को पहचानने के लिए अग्रसक्रिय रूप से ऋण निगरानी करना आवश्यक है। दबाव को पहले ही पहचान लेने से उधारदाताओं को अपेक्षित समाधान योजना लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

प्रारंभ किया गया एक अन्य प्रमुख परिवर्तन यह है कि समाधान योजनाओं को अब उधारदाताओं द्वारा एकल अथवा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा। जिन उधारकर्ताओं का एक्सपोजर एक से अधिक बैंकों में है, उन पर कार्रवाई करते समय बैंकों को अपने स्वयं के मूल सिद्धांत तैयार करने का पूर्ण विवेक तथा लचीलापन उपलब्ध कराया गया है। संशोधित ढांचे में उधारदाता आंतरिक नीतियों तथा जोखिम वहन क्षमता के अनुरूप बनाई गई भेदकारी समाधान योजनाएँ कार्यान्वयित कर सकते हैं। सिर्फ विश्वसनीय समाधान योजनाओं का ही कार्यान्वयन किया किया जाना सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र स्वीकृति ढांचे की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित योजना के संदर्भ में ऋण के बारे में स्वतंत्र राय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से ली जाती है।

समग्र रूप से देखा जाए तो संशोधित ढांचे में देश की ऋण संस्कृति में सुधार लाने तथा लेनदेन में प्रतिपक्षों के बीच भरोसे में सुधार करने का प्रयास किया गया है। ऋणों के प्रत्यायोजित निगरानीकर्ता की भूमिका को प्रभावी रूप से निभाने के संबंध में बैंकों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण होगा।

संदर्भ :

1. आचार्य, वी.वी., टी. आइसर्ट, सी. यूफिंगर, और सी.डब्ल्यू. हिर्श (2016), 'वाटएवर इट टेक्स : द रियल इफैक्ट्स ऑफ अनकन्वेंशनल मोनेटरी पॉलिसी', वर्किंग पेपर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस।
2. बलोवा, एम., नीस, एम., और प्लेखानोव, ए. (2016), "द इकनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग नॉन-परफॉर्मिंग लोन्स", यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट , वर्किंग पेपर सं.193.
3. बीआईएस (2017), "रेसोल्यूशन ऑफ नॉन-परफॉर्मिंग लोन्स-पॉलिसी ऑप्शन", एफएसआई इनसाइट्स ऑन पॉलिसी इंप्लिमेंट्स, संख्या 3.
4. मैकगोवन, एम.ए., एंड्रयूज,डी., मिलॉट्ट,वी.(2017), द वाकिंग डेड? ज़ोंबी फर्म्स एंड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस इन ओईसीडी कंट्रीज़, ओईसीडी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वर्किंग पेपर सं.1372.
5. स्टीगम, ई.(2010), "नार्वेजियन बैंकिंग क्राइसिस इन द 1990 : इफेक्ट्स एंड लेसन्स ", नॉर्वेजिअन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नॉर्वे।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की कार्यप्रणाली

VI.11 नवंबर 2017 में, बैंकों को सूचित किया गया कि वे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित कार्यप्रणाली स्थापित करें।

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना

VI.12 बैंकिंग लोकपाल के वार्षिक सम्मेलन, 2014 में यह सुझाव दिया गया था कि बैंकों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को उन मामलों में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की शून्य देयता संबंधी नीति तैयार करनी चाहिए जहां बैंक ग्राहक के स्तर पर लापरवाही स्थापित करने में असमर्थ रहा। बैंक और जनता से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात दिनांक 6 जुलाई 2017 को परिपत्र जारी किया गया, जो अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक की देयता को सीमित करने के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित करने वाला अंतिम परिपत्र था (बॉक्स VI.2)।

चलनिधि मानकों के संबंध में बासेल-III फ्रेमवर्क

VI.13 चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद भारत में निगमित बैंकों को अब ऐसे मामलों में, जिनमें किसी विदेशी सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा शून्य प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित किया गया हो, आरक्षित निधि अपेक्षाओं के अतिरिक्त, विदेशी केंद्रीय बैंकों में धारित नकदी आरक्षित निधियों को स्तर-1 की उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में जहां किसी विदेशी सरकार के लिए अंतराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा शून्य से इतर प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित किया गया है, लेकिन बासेल-II ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय-विवेक के आधार पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित किया गया है, वहां ऐसे विदेशी केंद्रीय बैंकों में आरक्षित निधि अपेक्षा के अतिरिक्त धारित आरक्षित निधियों को बैंको के दबावपूर्ण निवल नकदी बहिर्वाह के उस विशिष्ट मुद्रा में जमा शेष के तुल्य होने तक स्तर-1 की एचक्यूएलए माना जाएगा। मौजूदा रूपरेखा के अनुसार, 1 जनवरी 2019 तक एससीबी का एलसीआर न्यूनतम 100 प्रतिशत होना चाहिए।

बॉक्स VI.2
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी फ्रेमवर्क

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता सीमित करने संबंधी फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

शून्य देयता : बैंक की ओर से चूक होने की स्थिति में तथा ऐसे मामलों में जहां गलती न तो ग्राहक की है और न ही बैंक की है, किंतु प्रणाली में कहीं और गलती पाई जाती है, ग्राहक बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य-दिवसों के भीतर अनधिकृत लेनेदेन संबंधी जानकारी बैंक को देता है तो ग्राहक को कोई नुकसान वहन नहीं करना पड़ेगा।

सीमित देयता : ग्राहक की लापरवाही के कारण नुकसान होने पर संपूर्ण नुकसान ग्राहक को तब तक वहन करना पड़ेगा जब तक ऐसे अनधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक को रिपोर्ट न की गई हो। ऐसे मामलों में जहां गलती न तो ग्राहक की है और न ही बैंक की है, किंतु प्रणाली में कहीं और गलती पाई जाती है, और ग्राहक बैंक से लेनदेन संबंधी सूचना प्राप्त होने के चार से सात कार्य-दिवसों के विलंब से अनधिकृत लेनेदेन संबंधी जानकारी बैंक देता है तो ग्राहक की अधिकतम देयता ₹5,000 से ₹25,000 के बीच होगी, जो खाते/लिखत के प्रकार के आधार पर निर्धारित होगी।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार देयता : अनधिकृत लेनेदेन की रिपोर्ट यदि सात कार्य-दिवसों के बाद की जाती है, तो ग्राहक की देयता बैंक के बोर्ड द्वारा इस संबंध में अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

बैंक को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि ग्राहक द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से 10 कार्य-दिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में जमा (शैडो रिवर्सल) करना होगा। बैंक को शिकायत प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करना है और ग्राहक की देयता, यदि हो, निर्धारित करना होगा। इसके अलावा, बैंकों को यह भी अधिदेश हैं कि वे एसएमएस चेतावनी तथा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए ग्राहकों द्वारा उनके मोबाइल नंबर रजिस्टर करना अनिवार्य करें।

बैंकों के एलसीआर की गणना करने के लिए स्तर-1 एचक्यूएलए के रूप में अनुमेय आस्तियों में, *अन्य के साथ*, निम्नलिखित को शामिल किया जाता है - न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ, और सरकारी प्रतिभूतियां जो अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) {वर्तमान में बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 2 प्रतिशत} तथा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एफ़एएलएलसीआर) के लिए चलनिधि की सुविधा के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमेय सीमा (इसे बैंक की एनडीटीएल के 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत किया गया है) के भीतर हों। अतः, बैंकों के लिए एसएलआर के हिस्से के रूप में उपलब्ध कुल राशि उनके एनडीटीएल के 13 प्रतिशत के तुल्य होगी। एलसीआर के संबंध में अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

VI.14 निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) संबंधी अंतिम दिशा-निर्देश मई 2018 में जारी किए गए।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम(एमएसएमई) क्षेत्र को औपचारिक बनाए जाने को प्रोत्साहन देना

VI.15 फरवरी 2018 में, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा जीएसटी के लिए पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में किए गए एक्सपोजर को 180-दिवसीय से बकाया की शर्त के अनुसार मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई। यह अनुमति समग्र एक्सपोजर पर ₹250 मिलियन की सीमा सहित विशिष्ट शर्तों के अधीन है। इसकी समीक्षा करने बाद यह सुविधा उन सभी एमएसएमई तक विस्तारित की गई है, जो अभी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकृत नहीं हैं। इसके अंतर्गत उन्हें उपर्युक्त सीमा तक ऋण सुविधा प्रदान की गई है। तदनुसार, इस तरह के एमएसएमई खातों को बैंकों तथा एनबीएफ़सी द्वारा मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा, यदि - 1 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि तथा 1 सितंबर 2017 और 31 दिसंबर 2018 के बीच बकाया भुगतान की अदायगी मूल निर्धारित तारीख से 180 दिनों के बाद नहीं की गई हो। वित्तीय स्थिरता के लिए अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाए जाने में बढ़ोतरी होने से होने वाले फायदों के मद्देनजर, जीएसटी के लिए पंजीकृत एमएसएमई के मामले में, 1 जनवरी 2019 से बकाया राशि के भुगतान को चरणबद्ध ढंग से 90 दिवसीय एनपीए मानक की सीमा के अनुरूप बनाया जाएगा। जो एमएसएमई, 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार जीएसटी के लिए पंजीकृत नहीं हैं, उन पर 90-दिवसीय एनपीए मानक 1 जनवरी 2019 से तत्काल प्रभाव से पुन: लागू हो जाएंगे।

साख सूचना कंपनियां (सीआईसी) समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी

VI.16 कुछ साख सूचना कंपनियां वाणिज्यिक डेटा, उपभोक्ता डेटा अथवा सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफ़आई) डेटा जैसे विशिष्ट मॉड्यूल में उपलब्ध साख सूचना के आधार पर ऋण संस्थाओं (सीआई) को साख सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) सीमित रूप में उपलब्ध कराने की प्रथा जारी रखे हुए थीं। इसके परिणामस्वरूप, उधारदाता, विभिन्न मॉड्यूल में उपलब्ध उधारकर्ता के पूर्ण ऋण-इतिहास के बारे में अनभिज्ञ बने रहे, जिससे उनके ऋण संबंधी निर्णयों की गुणवत्ता पर असर पड़ा। इसके अलावा, सीआईसी इस प्रकार की विशिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग प्रभार लगा रही थीं। इसलिए सीआईसी को निदेशित किया गया कि वे किसी उधारकर्ता के संबंध में ऋण संस्था को प्रस्तुत किए जाने वाले सीआईआर में उधारकर्ता से संबंधित सभी मॉड्यूल में उपलब्ध साख सूचना सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।

विवरणियों में सुसंगत परिभाषाओं को जारी किया गया

VI.17 दिसंबर 2014 में गठित अंतर विभागीय कार्य-दल की सिफ़ारिशों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सभी बैंकिंग तथा विनियामक विवरणियों के संबंध में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने वाले 189 प्रकार के डेटा-घटकों की परिभाषा को सुसंगत बनाया गया।

श्रेणी I तथा II की वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ़)[1] के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सुसंगत बनाया जाना

VI.18 बैंकों को किसी एआईएफ़-I की एकक पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश करने की सामान्य अनुमति थी। इसके

[1] श्रेणी। के अंतर्गत आने वाली एआईएफ स्टार्टअप या प्रारंभिक अवस्था वाले उद्यमों/सामाजिक उद्यमों/एसएमई/इन्फ्रास्ट्रक्चर या उन अन्य क्षेत्रों में निवेश करती हैं, जिन्हें सरकार या विनियामक सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से अभीष्ट मानती है। श्रेणी।। के अंतर्गत आने वाली एआईएफ अधिकांशत: स्थावर संपदा निधि या पीई निधि होती हैं, जो गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। श्रेणी।।। के अंतर्गत आने वाली एआईएफ (मुख्य रूप से हेज फंड) सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध व्युत्पन्नियों में लीवरेज-युक्त तथा विविधता-युक्त/जोखिमपूर्ण कार्यनीतियों का प्रयोग करते हैं।

आगे निवेश के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक था। एआईएफ़-I तथा एआईएफ़-II के तहत दैनिक परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से इतर किसी कार्य के लिए लीवरेज़ अथवा उधार नहीं लिया जाता। अत: एआईएफ़-II में निवेश का अनुमोदन विशिष्ट मामले के आधार पर दिया जाता था। सितंबर 2017 में यह निर्णय लिया गया कि एआईएफ़-I तथा एआईएफ़-II में बैंक के निवेश से संबंधित मानदंडों को सुसंगत बनाया जाए। इसके अंतर्गत बैंकों को एआईएफ़-I तथा एआईएफ़-II में एकक पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई तथा उसके पश्चात उन्हें रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा।

श्रेणी-III एआईएफ़ में निवेश को प्रतिबंधित करना

VI.19 श्रेणी-III एआईएफ़ में बैंकों द्वारा निवेश पर विशेष रूप से रोक लगाई गई है। इसके अलावा, बैंकों के अप्रत्यक्ष एक्सपोजर पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से, बैंक की अनुषंगी संस्थाओं द्वारा एआईएफ़-III में निवेश की अधिकतम सीमा, *अर्थात* प्रायोजक/प्रबंधक प्रतिबद्धता (मूल निधि का 5 प्रतिशत अथवा ₹100 मिलियन, जो भी कम हो) पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक मानदंडों की सीमा तक, निर्धारित की गई है।

प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम के लिए पूंजी

VI.20 सितंबर 2017 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) ढांचे के अंतर्गत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ़)/इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड (आईडीएफ़) के साथ बैंक का नाम जुड़ने के कारण प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम का पता लगाएं और अतिरिक्त पूंजी अपेक्षा का निर्धारण करें, जो पर्यवेक्षी जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पर्यवेक्षी जांच के अधीन होगी।

बासेल-III पूंजीगत अपेक्षाओं को सुसंगत बनाया जाना

VI.21 सितंबर 2017 में, बैंकों द्वारा वित्तीय सेवा कंपनियों तथा अन्य विनिर्दिष्ट निवेशों/कार्य-कलापों में निवेश के लिए पूंजीगत अपेक्षा को सीआरएआर के 10 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर न्यूनतम सीआरएआर और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के जोड़ के स्तर तक निर्धारित किया गया। इस प्रकार से, बासेल-III ढांचे के अंतर्गत न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा को सीसीबी अपेक्षा के सुसंगत बनाया गया।

बैंक, पण्य व्युत्पन्नी बाज़ार (कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट) के व्यावसायिक समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे

VI.22 सितंबर 2017 में, बैंकों को सेबी में पंजीकृत पण्य व्युत्पन्नियों के खंड में व्यावसायिक समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति प्रदान की गई। यह अनुमति शेयर बाजार की सदस्यता के लिए वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंडों {₹5 बिलियन की न्यूनतम निवल मालियत होने, न्यूनतम निर्धारित पूंजी स्तर बनाए रखने (पूंजी संरक्षण बफर सहित), निवल एनपीए अनुपात के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने तथा पिछले तीन वर्ष में लाभप्रद स्थिति में होने} की शर्त का अनुपालन किए जाने के अधीन दी गई। हालांकि, वे पण्य व्युत्पन्नियों में मालिकाना स्थान (प्रोप्राइटरी पोजीशन) नहीं ले सकते हैं।

बैंक की अनुषंगी कंपनियाँ पण्य डेरिवेटिव बाज़ार में आढ़तिया का कार्य करेंगी

VI.23 चूंकि, आढ़तिया सेवा प्रदान करने वाली बैंकों की अनुषंगी संस्थाएं शेयर बाजार में अपने परिचालनों, विशेष रूप से पूंजी बाज़ारों में खुदरा सहभागिता को संभव बना कर, के माध्यम से बहुत अधिक महत्व पाती हैं; इसलिए आढ़तिया सेवा प्रदान करने वाली बैंकों की अनुषंगी संस्थाओं को पण्य व्युत्पन्नी खंड में अनुमति दिए जाने से उनकी पहुंच खुदरा भागीदारों और अभी तक संपर्क में नहीं आए ग्राहक समूह तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। तदनुसार, बैंकों की अनुषंगी संस्थाओं को बाजार के पण्य व्युत्पन्नी खंड में आढ़तिया सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि वे इस खंड में मालिकाना स्थान नहीं ग्रहण करें।

फिनटेक तथा विनियामक पहल

VI.24 रिज़र्व बैंक ने फिनटेक के सूक्ष्म पहलुओं और इसके प्रभावों का पता लगाने के लिए फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग के विषय पर अंतर-विनियामकीय कार्य-समूह का गठन किया है, ताकि विनियामकीय ढांचे की जांच की जा सके तथा इसका समुचित पुनर्निर्धारण किया जा सके और तेजी से उभर रहे फिनटेक परिदृश्य की गतिशील गतिविधियों (डायनेमिक्स) पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। 8 फरवरी 2018 को कार्य-दल की रिपोर्ट जनता की राय जानने के लिए जारी की गई। सुपरिभाषित क्षेत्र और अवधि के अंतर्गत "रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स/नवोन्मेष

बॉक्स VI.3
फिनटेक रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स – उद्देश्य, सिद्धान्त, लाभ और जोखिम

फिनटेक रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

i. रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स - आवश्यकता तथा प्रयोजन

रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स से तात्पर्य नियंत्रित/परीक्षणात्मक विनियामक परिवेश में नए उत्पादों अथवा सेवाओं के सीधे परीक्षण किए जाने से होता है। सैंडबॉक्स व्यवस्था में विनियामक तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों की सक्रिय भूमिका हो सकती है, क्योंकि वे सैंड बॉक्स के अंतर्गत अपने उत्पादों की जांच करने वाली संस्थाओं को कतिपय विनियामक/पर्यवेक्षी छूट दे सकते हैं।

ii. रेग्युलेटरी सैंड बॉक्स के लाभ

सैंड बॉक्स के उपयोगकर्ता उत्पाद की व्यवहार्यता की जांच उन्हें बाजार में लाए बिना, जो अपेक्षाकृत बड़े पैमाने और महंगे होते हैं, कर सकते हैं। सैंड बॉक्स के कारण उत्पादों तथा सेवाओं के प्रकारों में वृद्धि होने, लागत में कमी आने तथा वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच होने से यह उपभोक्ताओं के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है।

iii. जोखिम तथा सीमाएं

उपभोक्ता तथा डेटा सुरक्षा से संबंधित मामले विनियामक सैंडबॉक्स के समक्ष मुख्य चुनौतियां हैं।

रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स रूपरेखा से संबंधित पहलू

सैंडबॉक्स स्थापित करते समय विनियामकों को उसकी रूपरेखा से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए

1. ***किसी समूह के हिस्से के रूप में फिनटेक संस्थाओं की संख्या :*** सैंड बॉक्स कुछ समूहों का संचालन कर सकते हैं (संपूर्ण सैंडबॉक्सिंग प्रक्रिया), जिनमें से प्रत्येक समूह किसी विशिष्ट अवधि के दौरान सीमित संख्या में संस्थाओं के उत्पादों की जांच करना स्वीकार कर सकेगा।
2. ***सैंडबॉक्स के लिए पात्रता की शर्तें :*** सैंड बॉक्स के लिए आवेदन-कर्ताओं में मौजूदा वित्तीय संस्थाएं एवं फिनटेक फर्में शामिल हो सकती हैं।
3. ***सीमा संबंधी शर्तें :*** सैंड बॉक्स के लिए सीमा संबंधी शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं - सैंड बॉक्स के प्रारंभ तथा समाप्ति की तारीख; लक्षित ग्राहक का प्रकार; समाहित उपभोक्ताओं की संख्या पर प्रतिबंध; अन्य गणना योग्य सीमाएं जैसे- लेनदेन संबंधी सीमा अथवा नकदी धारण करने की सीमाएं, यथा प्रयोज्य; तथा कारोबार की मात्रा।
4. ***निकासी (एक्ज़िट) योजना :*** प्रस्तावित वित्तीय सेवा के समाप्त होने की स्थिति में एक स्वीकार्य निकासी तथा संक्रमण कार्यनीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए अथवा सैंड बॉक्स से निकालने के उपरांत उसे अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर उस सेवा को लागू करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।
5. ***सैंड बॉक्स में शामिल होने के लिए मानदंड :*** सैंड बॉक्स में शामिल होने के लिए मुख्य मानदंड वित्तीय सेवाओं में किए गए प्रौद्योगिकी संबंधी ऐसे नवोन्मेषी प्रयास हैं जिनसे उपभोक्ताओं को लाभ हो।
6. ***मूल्यांकन के मानदंड :*** प्रस्तावित वित्तीय सेवा नवोन्मेषी होनी चाहिए तथा प्रस्तावित सेवा को भारत में लागू करने का इरादा तथा क्षमता होनी चाहिए।
7. ***उपभोक्ता संरक्षण :*** सैंड बॉक्स संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके उपभोक्ताओं के प्रति उसके किसी वर्तमान दायित्व (डेटा की निजता सहित) को सैंड बॉक्स छोड़ने से पहले पूर्ण किया जाए।

केंद्र" से संबंधित ढांचे की स्थापना किया जाना कार्यदल की मुख्य सिफ़ारिशों में से एक थी। इसके अंतर्गत, वित्तीय क्षेत्र का विनियामक अपेक्षित विनियामकीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा, ताकि अन्य विनियामकीय क्षेत्राधिकारों की भांति भारतीय संदर्भ में उपभोक्ताओं के लिए दक्षता में वृद्धि की जा सके, जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके और नए अवसर पैदा किए जा सकें (बॉक्स VI.3)।

इन्फर्मेशन यूटिलिटीज (आईयू) को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना

VI.25 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 215 के अनुसार कोई भी वित्तीय ऋणदाता किसी इन्फर्मेशन यूटिलिटीज (आईयू) को वित्तीय जानकारी तथा उन सभी आस्तियों से संबंधित जानकारी, जिनके संबंध में किसी प्रतिभूति हित का सृजन हुआ हो, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) (इन्फर्मेशन यूटिलिटीज) विनियमावली, 2017 के अध्याय V में निर्दिष्ट स्वरूप तथा पद्धति के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। दिसंबर 2017 में, आरबीआई द्वारा विनियमित सभी वित्तीय ऋणदाताओं को सूचित किया गया कि वे आईबीसी, 2016 तथा आईबीबीआई (आईयू) विनियमावली, 2017 के संबंधित प्रावधानों का पालन करें और इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तथा प्रक्रियाएं तत्काल स्थापित करें।

आभासी मुद्राओं (वर्चुअल करेंसी) में लेनदेन पर रोक

VI.26 रिज़र्व बैंक ने अपनी सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से बिटकॉइन सहित अन्य सभी आभासी मुद्राओं (वीसी) के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी मुद्राओं का प्रयोग करने के जोखिम के बारे में कई बार सतर्क किया। सन्निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2018 में

रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य किया कि उसके द्वारा विनियमित संस्थाएं आभासी मुद्राओं में लेनदेन नहीं करेंगी अथवा किसी भी व्यक्ति या संस्था को आभासी मुद्राओं में लेनदेन करने या आभासी मुद्रा का निपटान करने के संबंध में सेवा प्रदान नहीं करेंगी। इसके अलावा, पहले से इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही विनियमित संस्थाओं को तीन महीने के भीतर इस प्रकार के संबंध समाप्त कर देना चाहिए।

केवाईसी निदेश, 2016 के संबंध में अद्यतन सूचना

VI.27 सरकार द्वारा धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली में किए गए संशोधनों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने केवाईसी के संबंध में जारी अपने मास्टर निदेश में तदनुरूप संशोधन जारी किए हैं। सभी बैंकों को अपने खाता-आधारित कारोबारी संबंध के लिए पैन/फॉर्म-60 के साथ आधार संख्या (उन व्यक्तियों के लिए जो आधार के लिए नामांकित होने हेतु पात्र हैं) को भी अनिवार्य कर दिया गया। यदि खाता 6 महीने से अधिक पुराना नहीं है, तो आधार नामांकन संख्या स्वीकार्य होगी; तथापि, ऐसे मामलों में 6 महीनों की अवधि के भीतर आधार संख्या उपलब्ध कराना आवश्यक है। आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) की परिभाषा में भी तदनुसार संशोधन किया गया है। आधार संख्या और पैन संख्या को अनिवार्य दस्तावेजों के रूप में निर्दिष्ट करते हुए अब आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) में इन्हें शामिल किया गया है -(i) पासपोर्ट, (ii) ड्राइविंग लाइसेंस, (iii) मतदाता पहचान-पत्र, (iv) राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित नरेगा जॉब कार्ड, और (v) राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक (रजिस्टर) द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम और पते का विवरण दर्ज हो। रिपोर्टिंग एककों द्वारा आधार संख्या को ई-केवाईसी प्रमाणीकरण {बॉयोमीट्रिक या एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) आधारित} अथवा हां/नहीं प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए प्रमाणन करना होगा। उपर्युक्त अनुदेश, न्यायमूर्ति श्री के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य (एनआर) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिक सं. डब्ल्यू.पी. (सिविल) 494/2012 (आधार के मामले) पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले अंतिम फ़ैसले के अधीन हैं।

VI.28 जहां, खाता-धारक का वर्तमान पता आधार कार्ड में उपलब्ध नहीं है, वहाँ खाता-धारक को अपने वर्तमान पते के साक्ष्य के रूप में आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (ओवीडी) में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। खाता-धारकों के वर्तमान पते संबंधी तत्काल स्वरूप के मामलों के निपटान हेतु 3-महीने की विशेष समयावधि प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत वैकल्पिक दस्तावेज अस्थायी रूप से वर्तमान पते के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, यथा - यूटिलिटी बिल जो 2 महीनों से अधिक पुराने न हों। इसके अलावा, प्रमाणीकरण प्रक्रिया को कूटबद्ध किया गया है, जिसमें ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) की प्रतिलिपि को रिपोर्टिंग संस्था के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ की मूल प्रतिलिपि के साथ मिलान कर उसे प्रमाणित किया जाता है एवं उस प्रतिलिपि पर यह प्रमाणन दर्ज करा लिया जाता है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.29 रिज़र्व बैंक वर्ष 2017-18 से संबंधित उन कार्रवाई बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, जिन पर कार्य अभी प्रगति पर है, *नामत:* - इंड-एएस का कार्यान्वयन, लचीली मार्जिन आवश्यकताओं पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना, प्रतिभूतिकरण हेतु संशोधित ढांचे तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) के मानकों के अनुरूप कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना। बीसीबीएस समिति ने संशोधित बाजार ढांचे के कार्यान्वयन को 1 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तदनुसार, 2018-19 के दौरान बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

VI.30 रिज़र्व बैंक संशोधित विवेकपूर्ण विनियम जारी करेगा, जिसमें इन्हें शामिल किया जाएगा – एक्सपोजर मानदंडों के संबंध में निदेश, निवेश मानदंड, जोखिम प्रबंधन से संबंधित फ्रेमवर्क और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) पर लागू होने वाले बासेल।।। के अंतर्गत पूंजी फ्रेमवर्क के चुनिंदा कारक।

VI.31 बैंकों द्वारा वित्तीय सेवा संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान करने के समय के आधार पर स्थापना करने के अनुमत कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण संरचनागत अंतर विद्यमान हैं। इसलिए, सामान्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से इन अंतरों को सुसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

VI.32 वित्तीय सेवाओं में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस क्षेत्र में मौजूद अन्य प्रमुख विनियामकों के साथ सहयोगी व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

VI.33 भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बैंकिंग संरचना का पुनर्विन्यास करने के उद्देश्य से, विदेशी बैंकों के अनुषंगीकरण की नीति तथा सीमांत निधि लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।

VI.34 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित विनियामक दिशा-निर्देशों *की तुलना में* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.35 भारतीय वित्तीय प्रणाली में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने उनसे संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयास किया है, ताकि वे वित्तीय रूप से सुदृढ़ हों और उनका अभिशासन सक्षम हो सके। इस संदर्भ में, 2017-18 में सहकारी बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए जिम्मेदार, डीसीबीआर ने निम्नसूचित कदम उठाए।

वर्ष 2017-18 के संबंध में कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

विनियामकीय नीतियों को सुसंगत बनाया जाना

VI.36 सभी सहकारी बैंकों के लिए विनियामकीय नीतियों को सुसंगत बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर, सभी सहकारी बैंकों [शहरी सरकारी बैंक/यूसीबी, राज्य सहकारी बैंक/एसटीसीबी और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/डीसीसीबी] के लिए रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते खोलने संबंधी विनियामकीय प्रक्रिया सरल की गई है। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के कारण ग्राहकों की देयता को सीमित करने संबंधी दिशा-निर्देश सभी सहकारी बैंकों पर भी लागू किए गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देशों को एससीबी के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया गया है।

लायसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का पुनरूज्जीवन और लायसेंस प्रदान किया जाना

VI.37 जम्मू-कश्मीर राज्य में तीन लाइसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के मामले में संबंधित राज्य सरकार, भारत सरकार और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार, राज्य सरकार ने मार्च 2018 में ₹2.56 बिलियन का अपना हिस्सा निर्गमित कर दिया है, जो जम्मू-कश्मीर सरकार के सहकारी विभाग के पास रखा हुआ है। यह राशि उक्त तीन डीसीसीबी को भेजी जानी है। राज्य सरकार द्वारा धन अंतरित किए जाने के पश्चात उक्त तीन डीसीसीबी बैंकों को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) से संबंधित पर्यवेक्षी कार्रवाई-फ्रेमवर्क की समीक्षा

VI.38 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई के फ्रेमवर्क की समीक्षा अभी प्रक्रियाधीन है। सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत किए जाने के लिए यूसीबी की समीक्षा की जा रही है, ताकि कमजोर यूसीबी की स्थिति को समय रहते सुधारा जा सके। यह कार्य योजना वर्ष 2018-19 तक आगे बढ़ाई गई है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

VI.39 कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू करने के लिए यूसीबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) तथा भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (आईएफटीएएस) (आईडीआरबीटी की अनुषंगी संस्था) के परामर्श से दिनांक 13 अप्रैल 2016 को एक योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत, रिज़र्व बैंक द्वारा आईएफटीएएस को इस प्रणाली की स्थापना संबंधी प्रारम्भिक लागत राशि ₹0.4 मिलियन का भुगतान किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत 3 और यूसीबी ने भी सीबीएस को लागू किया है, जिससे सीबीएस का अनुपालन करने वाले यूसीबी की संख्या 1,453 हो गई।

यूसीबी में सीबीएस के लिए मानक और बेंचमार्क का निरूपण

VI.40 यूसीबी में सीबीएस से संबंधित क्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं के संबंध में रिज़र्व बैंक के परामर्श से आईडीआरबीटी ने एक दस्तावेज बनाया गया, जिसे जुलाई 2017 में जारी किया गया।

अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग), लायसेंस दिया जाना (लायसेंसिंग), विलय और स्वैच्छिक रूपांतरण

VI.41 विलय से संबंधित कुल छह प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से पांच प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें अपेक्षाकृत अधिक मजबूत यूसीबी के साथ ऋणात्मक निवल मालियत वाले बैंकों के विलय के दो मामले भी शामिल थे। जून 2018 में प्राप्त हुए शेष प्रस्ताव अभी प्रक्रियाधीन हैं। वर्ष के दौरान दो विलय फलीभूत हुए। इसके अलावा, एक यूसीबी ने स्वेच्छा से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 ए (2) के तहत स्वयं को सहकारी क्रेडिट सोसाइटी (गैर-बैंकिंग) में रूपांतरित कर लिया है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.42 वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना में, जम्मू-कश्मीर में तीन लाइसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को लायसेंस जारी करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल लायसेंस प्राप्त ग्रामीण सहकारी बैंक ही बैंकिंग क्षेत्र में परिचालन कर सकें। ग्रामीण सहकारी बैंकों को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए डीसीबीआर अपने एजेंडे को मजबूत बनाएगा ताकि वे किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपट सकें और बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण उभरने वाले संभावित जोखिमों को कम कर सकें। वर्ष 2014 में बनाए गए यूसीबी से संबंधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे की समीक्षा की जाएगी ताकि शुरुआती चरण में ही संबंधित बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। सीबीएस के कार्यान्वयन हेतु यूसीबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना इस वर्ष के दौरान भी जारी रहेगी। यूसीबी के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति (अध्यक्ष: श्री आर. गांधी) की कुछ सिफारिशों को वर्ष के दौरान क्रियान्वित करने की भी योजना है। समिति द्वारा दी गई सिफ़ारिश के अनुसार यूसीबी अभिशासन को बेहतर बनाने हेतु, यूसीबी उनके निर्वाचित बोर्ड के अलावा एक प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करेंगे। इस संबंध में दिशा निदेशों का मसौदा जनता की टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं के लिए जारी किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए जारी दूसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार पात्र यूसीबी को स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में परिवर्तित करने संबंधी एक योजना भी इस वर्ष के दौरान जारी की जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) : गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर)

VI.43 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण के महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित हो रही हैं। गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

समकक्षीय उधार (पीयर-टू-पीयर लैंडिंग) का प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी - पी2पी)

VI.44 अक्तूबर 2017 में, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी - पी2पी दिशा-निर्देश जारी किया। यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्वयं किसी वित्तीय गतिविधि को परिचालित नहीं करता है, किंतु यह एक तरह का ऋण-मध्यस्थता मंच उपलब्ध कराता है, जो उधारकर्ताओं और उधारदाताओं को एक स्थान पर लाता है। ग्राहक सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाए गए।

एनबीएफसी के लिए आउटसोर्सिंग संबंधी दिशा-निर्देश

VI.45 एनबीएफसी की आउटसोर्स की गई गतिविधियों को विनियामकीय दायरे में शामिल करने सहित एनबीएफसी द्वारा इस संबंध में कारगर और उत्तरदायी जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने, एनबीएफसी को उनकी वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

आस्ति पुनर्रचना कंपनियां (एआरसी)

VI.46 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों का पालन कर रही आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को, उधारकर्ता कंपनी की परिवर्तन के पश्चात रूपांतरित इक्विटी के 26 प्रतिशत की शेयरधारिता की सीमा में छूट दी गई। यह छूट इस शर्त के अधीन होगी कि ऋण के इक्विटी में परिवर्तित किए जाने के पश्चात उसकी शेयरधारिता किसी क्षेत्र-विशेष के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हेतु अनुमत सीमा से अधिक न हो। रिज़र्व बैंक ने, निवेशक आधार को विस्तृत करने और प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) बाजार की गहनता में और अधिक वृद्धि करने के लिए वैकल्पिक निवेश फंड श्रेणी-II और III के संबंध में अधिसूचना जारी किया। ये फंड सेबी में गैर-संस्थागत निवेशकों के रूप में पंजीकृत हैं।

सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विवेकपूर्ण विनियमन

VI.47 सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती हैं और इस प्रक्रिया में, उनके परिचालन के पैमाने के आधार पर कुछ क्षेत्रों में उनके अधिक एक्सपोजर होने के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक निधियां जुटाने वाली संस्थाओं के रूप में ये कंपनियां औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में एक-दूसरे से बहुत अधिक जुड़ी होती हैं। विनियमों को मजबूती प्रदान करने और उन्हें स्वामित्व-निरपेक्ष बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए, अब सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को चरणबद्ध तरीके से बैंक के विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करना होगा (बॉक्स VI.4)।

अन्य पहल

VI.48 जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए कुछ शर्तों के अधीन उपस्थिति बिंदु (पीओपी) सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

VI.49 इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मूलभूत निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडी-एसआई) द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीआईसी-एनडी-एसआई को केवल प्रायोजकों के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश निधि (इनविट) एकक धारित करने की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार के एक्सपोजर सेबी द्वारा प्रायोजकों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम धारिता और अवधि की सीमा के अंतर्गत हों। सीआईसी-एनडी-एसआई पर लागू समूह कंपनियों में निवेश के मानदंडों के अनुपालन के उद्देश्य से इस प्रकार की धारिता की गणना समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में की जाएगी।

वर्ष 2017-18 के लिए कार्ययोजना

VI.50 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ₹ 5 बिलियन और उससे अधिक की निवल मालियत वाली एनबीएफसी/आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) से 1 अप्रैल, 2018 से इंड-एएस को लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है।

VI.51 रिज़र्व बैंक, एआरसी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एआरसी के प्रायोजकों के लिए 'उपयुक्त एवं यथोचित मानदंड' के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा।

VI.52 रिज़र्व बैंक, बैंकों के लिए स्थापित दबावपूर्ण आस्तियों के समाधान किए जाने के संबंध में सुसंगत और सरलीकृत सामान्य फ्रेमवर्क को एनबीएफसी तक भी विस्तारित करने की योजना बना रहा है।

बॉक्स VI.4

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक में सरकारी स्वामित्व वाली कुल 42 एनबीएफसी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 केंद्र सरकार के और 26 राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली हैं। इन सरकारी एनबीएफसी में से, 23 को जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में, 12 को जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करने वाली अर्थात जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में और 7 को जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ विवेकपूर्ण मानदंडों से भी मुक्त हैं, क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती हैं। हालांकि, यह माना जाता है कि कुछ क्षेत्रों में उनके उच्च जोखिम का वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से जहां उनके परिचालन का दायरा विस्तृत हो। इसके अलावा, चूंकि वे सार्वजनिक निधियाँ जुटाने वाली संस्थाएं हैं, अतः वे औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साथ आपस में बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं। तदनुसार, जमा स्वीकार करने वाली तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वर्ष 2006 में अन्य एनबीएफसी पर लागू विवेकपूर्ण नियमों का अनुपालन करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। हालांकि, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सभी एनबीएफसी और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली 12 एनबीएफसी ने इस संबंध में अपना रोडमैप प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन उनके कार्यान्वयन में भिन्नता है। इसलिए, 31 मई 2018 की अधिसूचना के तहत सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के लिए रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करने और सार्वजनिक निधियों, कॉर्पोरेट अभिशासन, कारोबार के परिचालन संबंधी विनियमों और सांविधिक प्रावधानों का चरणबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाना आवश्यक बनाया गया। उक्त को लागू करने हेतु वर्ष 2022 तक की चरणबद्ध अवधि निर्धारित की गई है, ताकि छूट वापस लेने संबंधी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

VI.53 सरकारी एनबीएफसी को विवेकपूर्ण विनियमनों के अधीन लाए जाने के संक्रमण की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

VI.54 रिज़र्व बैंक अपनी नीतियों को फिनटेक सेक्टर में बदलती गतिशील परिस्थितियों (डायनेमिक्स) के अनुरूप बना रहा है, और आईटी आधारित दो नई प्रकार की एनबीएफसी, *नामत:* - एनबीएफसी-एकाउंट एग्रेगेटर (एनबीएफसी-एए) और एनबीएफसी पीयर-टू-पीयर (एनबीएफसी-पी 2 पी), को बैंक इस संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। बैंक, वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी कारोबार को इमारती शाखाओं (ब्रिक एंड मोर्टार प्रेजेंस) के बिना, आभासी माध्यम (वर्चुअल मोड) से संचालित करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनियों से प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा।

वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस)

VI.55 भारत की बैंकों के वर्चस्व वाली वित्तीय प्रणाली में रिज़र्व बैंक का बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), को एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) के पर्यवेक्षण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग प्रणालीगत स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीबीएस एससीबी के अलावा स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी), साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) का भी पर्यवेक्षण करता है। ये पर्यवेक्षण मौजूदा सांविधिक तथा विनियामक ढांचे के अंतर्गत किए जाते हैं।

2017-18 के लिए कार्ययोजना - कार्यान्वयन की स्थिति

VI.56 भारत में परिचालित बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के तहत जोखिम और पूंजी के मूल्यांकन के संबंध में पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) को पांच पर्यवेक्षी चक्रों के दौरान सफल रूप से कार्यान्वित किया गया। वर्तमान में, एसएफ़बी तथा भुगतान बैंकों से संबंधित पर्यवेक्षी ढांचे को विकसित करने का कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, आरबीएस मॉडल की जांच बाहरी प्रमाणीकरण के माध्यम से कराई गई। वर्ष के दौरान, बैंकों के शीर्ष प्रबंध तंत्र को जोखिम और पूंजी के मूल्यांकन के संबंध में पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के संबंध में संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बहुत से बैंकों के बोर्ड के सदस्यों तथा शीर्ष प्रबंध-तंत्र के लिए चर्चा-सत्रों का आयोजन किया गया। इन बैंकों की परिचालनात्मक कौशल वृद्धि के साथ ही साथ वरिष्ठ/मध्यम-स्तरीय प्रबंध तंत्र की कौशल वृद्धि करने के लिए विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

VI.57 वर्ष 2017-18 के दौरान, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफ़एस) के समक्ष 76 एससीबी, 1 एलएबी, तथा 2 सीआईसी के पर्यवेक्षी मूल्यांकन प्रस्तुत किए गए।

VI.58 वर्ष के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा के संबंध में तत्परता का मूल्यांकन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित पैंतीस जांच की गईं। इन जांचों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्र और विशिष्ट ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्रों की विषय-क्षेत्र-संबंधी जांच की गई। साइबर सुरक्षा की घटना पर प्रतिक्रिया करने के संबंध में बैंकों की तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए परिकल्पित परिदृश्यों को शामिल करते हुए मॉक साइबर-ड्रिल आयोजित की गईं। इस अभ्यास से बैंकों को अपनी घटना (इन्सिडेंट) प्रबंध क्षमताओं में खामियों की पहचान करने उनमें सुधार करने में मदद मिली। रिज़र्व बैंक ने, समझौता-पत्र (एलओयू) से जुड़ी बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के क्रम में विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) के लेनदेन के परिचालनात्मक नियंत्रणों का मूल्यांकन किया और बैंकों को उन नियंत्रणों को मजबूत बनाने को कहा गया। यह पाया गया कि बैंकों द्वारा प्रणालियों को सुरक्षित रखने के संबंध में की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी और इसलिए रिज़र्व बैंक ने अपने अनुदेशों को दोहराया और बैंकों द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई।

धोखाधड़ी की प्रवृत्ति का विश्लेषण

VI.59 वर्ष 2017-18 में, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों की संख्या बढ़कर 5835 हो जाने के पूर्व, पिछले 10 वर्षों के दौरान आमतौर पर यह 4500 के करीब रहती थी (चार्ट VI.1ए)। उसी प्रकार, धोखाधड़ियों में शामिल राशि भी धीरे-धीरे बढ़ती रही, और 2017-18 में इसमें ₹410 मिलियन की उल्लेखनीय वृद्धि हुई (चार्ट VI.1बी)। वर्ष 2017-18 के दौरान धोखाधड़ियों में शामिल राशि की मात्रा में हुई भारी वृद्धि का कारण रत्न और आभूषण क्षेत्र में हुई उच्च मूल्य की धोखाधड़ी रही, जिसका असर मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के एक बैंक (पीएसबी) पर पड़ा।

चार्ट VI.1: बैंकों द्वारा वर्ष 2008-2018 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले एवं उनमें शामिल राशि (₹1 लाख एवं उससे अधिक)

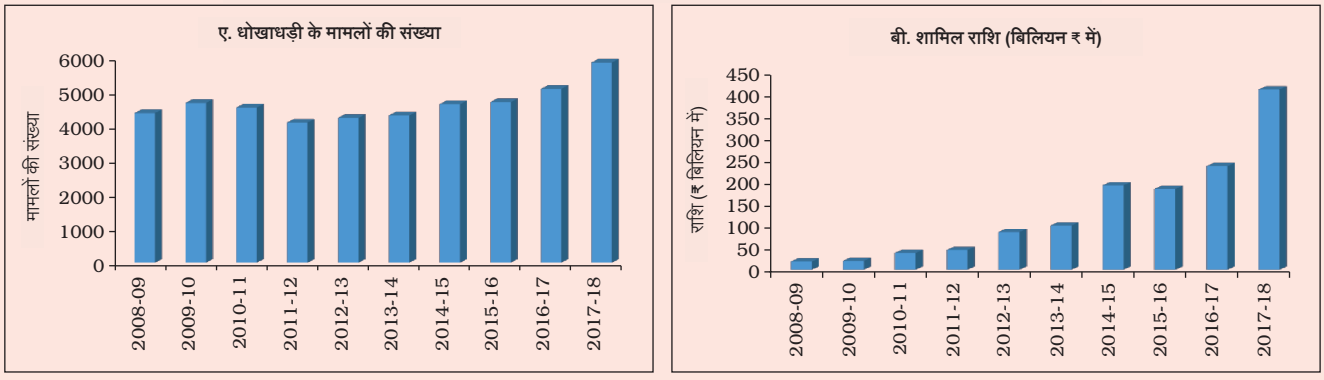

स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षीय विवरणियां।

VI.60 वर्ष 2017-18 के दौरान रिज़र्व बैंक को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ₹0.1 मिलियन से अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों में 92.9 प्रतिशत हिस्सा पीएसबी का रहा, और निजी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 6 प्रतिशत रहा। दिनांक 31 मार्च 2018 तक, धोखाधड़ियों में शामिल कुल संचयी राशि में से पीएसबी का हिस्सा 85 प्रतिशत रहा और निजी क्षेत्र का हिस्सा 10 प्रतिशत से थोड़ा अधिक रहा। प्रणालीगत स्तर पर, सभी धोखाधड़ियों में ऋणों से संबंधित धोखाधड़ियों का राशि के अनुसार हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक था, जिसमें 0.1 मिलियन और उससे अधिक की राशि समाहित थी, जबकि जमा खातों में धोखाधड़ियां मात्र 3 प्रतिशत से थोड़ी अधिक की थीं (चार्ट VI.2)। धोखाधड़ियों की ऋण श्रेणी के अंतर्गत पहला बड़ा हिस्सा (87 प्रतिशत) पीएसबी का था, उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों का स्थान रहा (11 प्रतिशत)। साख-पत्र (एलसी), समझौता-पत्र (एलओयू) तथा स्वीकृति-पत्र जैसी "तुलन-पत्र से इतर मदों" से संबंधित धोखाधड़ियों में पीएसबी का हिस्सा इससे भी अधिक, 96 प्रतिशत के स्तर पर रहा। "नकदी/चेक/समाशोधन" तथा "विदेशी मुद्रा लेनदेन" से संबंधित धोखाधड़ियों में निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक रहा। अन्य के साथ, डेबिट, क्रेडिट तथा एटीएम कार्डों के संबंध में रिपोर्ट की गई साइबर संबंधी सभी धोखाधड़ियों में निजी क्षेत्र के नए तथा विदेशी बैंकों –दोनों का हिस्सा 36-36 प्रतिशत रहा। भारतीय दंड संहिता के अनुरूप धोखाधड़ियों के किए गए सात वर्गीकरण में से "धोखाधड़ी और जालसाजी" की श्रेणी की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही तथा उसके बाद "दुर्विनियोजन तथा भरोसे के आपराधिक उल्लंघन" का स्थान रहा। "धोखाधड़ी और जालसाजी" के मामलों में समान्यतः एकाधिक बंधक तथा जाली दस्तावेज़ का प्रयोग किया गया। "धोखाधड़ी और जालसाजी" के माध्यम से की गई बैंक धोखाधड़ियों को रिपोर्ट करने में मुंबई (बृहन्मुंबई), कोलकाता तथा दिल्ली शहरों का नाम सबसे पहले आता है। धोखाधड़ी किए जाने में स्टाफ के लिप्त होने के संबंध में बैंकों ने यह रिपोर्ट किया कि ऐसा प्रमुख रूप से 'नकद' तथा 'जमाराशियों' के अंतर्गत हुई धोखाधड़ी के मामलों में हुआ, जिनका धोखाधड़ी की घटनाओं की समग्र संख्या तथा राशि

चार्ट VI.2: बैंकिंग धोखाधड़ी के लंबित मामलों का संघटन

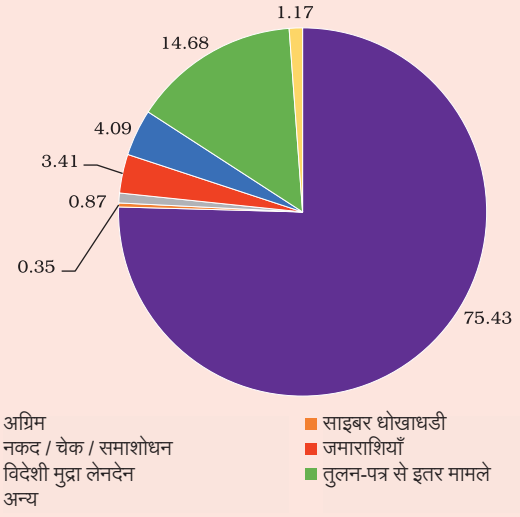

स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षीय विवरणियां।

में हिस्सा काफी कम था। सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री (सीएफ़आर) धोखाधड़ियों को कम करने के लिए हाल ही में की गई महत्वपूर्ण पहल थी, जो रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों के मामलों में बैंकों के उपयोग हेतु खोज करने की क्षमता वाला वेब आधारित डेटा बेस है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.61 बैंकों के ऋण संविभाग में अस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में पाई गई अत्यधिक भिन्नता के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के पूर्व सदस्य, श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित कार्य करेगी - रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन *की तुलना में* बैंकों द्वारा आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में अत्यधिक भिन्नता के कारणों तथा उन्हें रोकने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का पता लगाएगी, बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं में हुई वृद्धि के कारक तथा उनके निवारण के उपायों (आईटी हस्तक्षेप सहित) का पता लगाएगी, तथा ऐसी विभिन्नता और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए बैंकों में संचालित की गई विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं की भूमिका तथा कारगरता की जांच करेगी। समिति की सिफ़ारिशों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

VI.62 यह प्रस्ताव रखा गया कि वित्तीय संगुट (एफ़सी) समूहों के कारण होने वाले प्रणालीगत जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए उनके संबंध में नेटवर्क विश्लेषण प्रारम्भ किया जाए। विश्लेषण में प्रत्येक वित्तीय बाज़ार खंड में किसी एफ़सी समूह की मुख्य संस्थाओं को कवर किया जाएगा और समूह के भीतर के एक्सपोजर पर भी विचार किया जाएगा। विश्लेषण निष्कर्षों को विनियामकों के साथ साझा किया जाएगा तथा महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों और/अथवा चिंताओं पर अंतर-विनियामकीय फ़ोरम (आईआरएफ) की बैठकों में चर्चा की जाएगी।

VI.63 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफ़आरएस)/इंड-एएस को लागू किए जाने के संबंध में विनियामकीय दिशा-निर्देशों के उद्भव के क्रम में बैंकों द्वारा गुणात्मक तथा मात्रात्मक रिपोर्टिंग पर प्रभाव की समीक्षा की जाएगी, और उन्हें सुसंगत बना कर पर्यवेक्षी ढांचे में समेकित किया जाएगा। लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) तथा भुगतान बैंकों के पर्यवेक्षी ढांचे के संबंध में इन बैंकों के शीर्ष-प्रबंधतंत्र के लिए विशिष्ट संवेदीकरण सत्रों का आयोजन किए जाने को वर्ष 2018-19 की कार्यसूची में शामिल किया गया।

VI 64 वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय बैंकों की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास में संकेंद्रित तथा विषय-आधारित आईटी जांच की योजना बनाई गई। समुचित नीतिगत तथा पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के संबंध में, यथा वांछित, लक्षित छानबीन भी की जाएगी।

VI.65 ऑफ साइट निगरानी तंत्र की निरंतरता सुनिश्चित करने तथा उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण (सीएसआईटीई) कक्ष के विभिन्न पर्यवेक्षी कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा प्रबंध आवेदन पोर्टल तैयार करने एवं विवरणियों की पूरी तरह से स्वचालित निगरानी करने की परिकल्पना की गई, जिसे मार्च 2019 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा, बैंकों की मौजूदा लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और उसे विद्यमान वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता है (बॉक्स VI.5)।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.66 डीसीबीएस का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) का पर्यवेक्षण करना और उसके साथ ही सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीसीबीएस यूसीबी की आवधिक ऑन-साइट निगरानी एवं सतत ऑफ-साइट निगरानी करता है। जून 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश में 1,550 यूसीबी परिचालनरत थे, जिनमें से 39 यूसीबी की निवल मालियत ऋणात्मक रही और 20 यूसीबी रिज़र्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत रहे।

बॉक्स VI.5
बैंकों में लेखापरीक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाना

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में सांविधिक लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा, तथा विशेष लेखापरीक्षा जैसी विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा की जाती हैं। हाल ही में, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की बड़ी घटनाओं ने लेखापरीक्षा कार्य तथा उसके अभिशासन में सुधार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में एससीबी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तुलना में पाई गई भिन्नताओं को चिंता का विषय माना जा रहा है।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की भूमिका (एसीबी) : एसीबी को यह अधिदेश हैं कि एससीबी का मार्गदर्शन करें तथा एससीबी की लेखापरीक्षा के समग्र परिचालन का निरीक्षण करें। एसीबी को नेमी प्रकार की महत्वपूर्ण मदों की समीक्षा करने के अलावा, बैंक की प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के लिए मानक निर्धारित करने के कार्य का निरंतर निरीक्षण करना होता है, ताकि आंतरिक दिशानिर्देशों एवं विभिन्न विनियामक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

समवर्ती लेखा परीक्षा : समवर्ती लेखापरीक्षा वास्तविक-समय अथवा लगभग वास्तविक-समय पर की जानी होती है, और इससे यह अपेक्षा की जाती है कि कुछ समायावधि के बाद की जाने वाली अनुवर्ती आंतरिक लेखपरीक्षा की दिशा तय करे। अपवाद स्वरूप की रिपोर्टों, चाहे वे नेमी प्रकार की ही क्यों न हों, की भी निरंतर और विस्तृत जांच की जानी होती है। राउंड ट्रिपिंग तथा अन्य माध्यमों से निधियों के विपथन के संबंध में लेखा सत्यापन की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, लेखापरीक्षक से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि फेमा के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा हो तथा केवाईसी/एएमएल दिशा-निर्देशों को उचित ढंग से लागू किया जा रहा हो।

आंतरिक लेखापरीक्षा : मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसमें स्वतंत्र तथा प्रभावी लेखापरीक्षा कार्य शामिल हों, का होना मजबूत कॉर्पोरेट अभिशासन का अंग होता है। अपर्याप्त मानव संसाधन, वांछित कौशल (विशेष रूप से, विशेषीकृत शाखाओं के लिए) का अभाव, लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमाओं का पालन नहीं करना, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल नहीं करना, *इत्यादि* के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे यह संकेत मिलता है की पहले की रिपोर्टों के निष्कर्षों के दीर्घकालिक अनुपालन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा के एक समान निष्कर्ष होने तथा उनके दोहराव के बहुत से उदाहरण पाए गए। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा धोखाधड़ी के बहुत से मामलों का पता नहीं लगाया जा सका, जो खातों के एनपीए बन जाने के बाद उजागर हुए। धोखाधड़ी का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने के साथ ही साथ उनके निवारण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को और अधिक जोखिम-केंद्रित बनाए जाने की जरूरत है, ताकि आरंभिक स्तर पर ही खतरे के निशानों का पता लगाया जा सके।

बैंकों द्वारा आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों का पालन नहीं किया जाना बड़ी चिंता का विषय है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक सहित सभी भागीदारों को लेखापरीक्षा की गतिविधियों द्वारा समुचित भरोसा दिलाया जाना अभी शेष है। पर्यवेक्षक तथा अन्य भागीदारों के बीच सूचना की भिन्नता की घटनाएं संभव हैं, लेकिन विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुपालन के अभाव के कारण एनपीए में विचलन नहीं होना चाहिए।

सांविधिक लेखापरीक्षा : सांविधिक लेखापरीक्षकों को धोखाधड़ियों और आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन की घटनाओं से उजागर हुई त्रुटियों की पहचान करने के लिए मूल कारण का विश्लेषण करना चाहिए। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा, एनपीए के प्रणाली-आधारित निर्धारण के कार्यान्वयन में बैंकों के समक्ष आने वाले मामलों के साथ ही साथ उनके नियत कार्यों के लिए सेंट्रल डेटाबेस का और प्रभावी उपयोग कर पाने के संबंध में उत्पन्न अड़चनों की पहचान की जा सकती थी। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लॉन्ग-फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से दी गई सूचनाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वे बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) के लिए प्रवर्तन कार्रवाई का फ्रेमवर्क : लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को सुधारने तथा सुसंगत तरीके से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जवाबदेही की जांच करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रमिक प्रवर्तन कार्रवाई फ्रेमवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके स्थापित होने से, बैंको के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक की सांविधिक लेखापरीक्षा में पाई जाने वाली चूक के संबंध में रिज़र्व बैंक को समुचित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 18 अप्रैल 2018 को जारी रिज़र्व बैंक के परिपत्र में बैंकों के लिए निर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से अधिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तुलना में रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान पाई गई आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी भिन्नता की घटनाओं को समाहित किया जाएगा।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाना

VI.67 वर्ष के दौरान, यूसीबी में जनबल की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों पर अतिरिक्त जोर दिया गया। यहां जनबल से तात्पर्य कर्मचारी, प्रबंध-तंत्र एवं लेखापरीक्षक से है। यूसीबी पूरे देश में दूर-दूर तक फैले हुए हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके साथ करीबी से जुड़ने एवं उन्हें बढ़ावा देने की अहम भूमिका सौंपी गई। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से यूसीबी के स्टॉफ हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया। साथ ही, कॉर्पोरेट अभिशासन की महत्ता एवं कुशल प्रबंधन की भूमिका के मद्देनज़र यूसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) एवं

बोर्ड के सदस्यों के लिए अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेखापरीक्षक पर्यवेक्षक का ही विस्तारित रूप होते हैं, इसलिए विशेष प्रशिक्षण सत्रों के जरिए समय-समय पर उन्हें भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, ऑन-साइट निरीक्षण या ऑफ-साइट निगरानी के नतीजों के आधार पर कमजोर बैंकों की पहचान की गई और विशिष्ट सरपरस्ती कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि संबंधित बैंकों में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

एक्सबीआरएल प्लैटफॉर्म का स्थिरीकरण

VI.68 एक्सबीआरएल प्लैटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम मौजूदा कार्यप्रणालियों का प्रयोग करते हुए बैंकों द्वारा भेजी गई विभिन्न विवरणियों के घटकों को मानक एवं युक्तिसंगत बनाने में मदद करता है। प्रस्तुत विवरणियों को युक्तिसंगत बनाने के बाद, यूसीबी द्वारा अब मात्र 22 विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें सांविधिक, विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी आंकड़े व सूचना शामिल होते हैं। धोखाधड़ी के आंकड़े की रिपोर्ट किए जाने संबंधी विवरणी एक्सबीआरएल प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाने के अंतिम चरण पर है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

यथासमय निरीक्षण पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने सहित निरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करना

VI.69 यूसीबी की बड़ी संख्या के साथ ही, इस क्षेत्र में विविधता के कारण पर्यवेक्षी संसाधनों के इष्टतम आबंटन में चुनौती उत्पन्न होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, नवोन्मेषी कार्य-प्रणाली अपनाई गई, ताकि प्रयुक्त संसाधनों और पर्यवेक्षी निष्कर्ष के बीच उचित संतुलन बनाया जा सके। इस प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने एवं रिपोर्टों में सतत गुणत्मकता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रिया को और अधिक दुरुस्त किया जाएगा, ताकि उसकी क्षमता और प्रभावोत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

एनबीएफसी : गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.70 डीएनबीएस द्वारा 11,174 एनबीएफसी का पर्यवेक्षण किया जाता है, जिनमें से 249 जमा स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी हैं। वर्ष के दौरान, एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों में उच्च वृद्धि हुई। दो नए-प्रकार की एनबीएफसी, *नामतः* - लेखा समेकक (अकाउन्ट एग्रीगेटर्स) एवं पी2पी लेंडिंग प्लैटफॉर्म को परिचालन की अनुमति दी गई, जिससे इस क्षेत्र की विविधता में वृद्धि हुई।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.71 एनबीएफसी से संबंधित 'सचेत' पोर्टल में नवीनता लाई गई ताकि उपभोक्ता इंटरफ़ेस एवं कार्यात्मकता को बेहतर किया जा सके। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद पूरा होते ही इसे नए रूप में शुरू कर दिया जाएगा। एआरसी के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग फ्रेमवर्क ईजाद किया गया है और 2018-19 के निरीक्षण चक्र से इसे क्रियान्वित कर दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने, अनुपालन नहीं करने वाले, निष्क्रिय और न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के मानदंड पूरा नहीं करने वाली एनबीएफसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया। परिणामस्वरूप, पर्यवेक्षी व्यवस्था में सख्ती बरती गई। निरीक्षण के अंतिम दौर में, जोखिम-केंद्रित मॉडल का प्रयोग मौजूदा निरीक्षण रिपोर्ट फॉर्मेट के साथ-साथ किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया, जिसे 2018-19 के वर्तमान निरीक्षण चक्र से लागू किया जा रहा है। एक्सबीआरएल फॉर्मेट के अंतर्गत पर्यवेक्षी विवरणियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया ताकि आंकड़ों के दोहराव से बचा जा सके और साथ ही, इस क्षेत्र के ऋण संबंधी छोटे से छोटे आंकड़े और अंतःसंबद्धता के वित्तीय पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सके। एक्सबीआरएल में तैयार की जा रही संशोधित विवरणियां अभी प्रायोगिक अवस्था में हैं। सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी को ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया। दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही से इनसे पर्यवेक्षी विवरणियां मंगाई जा रहीं हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.72 वर्ष 2018-19 के निरीक्षण चक्र के साथ सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी का ऑन-साइट निरीक्षण किया जाएगा। एनबीएफसी-लेखा समेककों एवं एनबीएफसी- पी2पी लेंडिंग प्लैटफॉर्म से संबंधित पर्यवेक्षी विवरणियां तैयार की

जाएंगी। एनबीएफसी के मामले में साइबर सुरक्षा की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की जाएगी।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.73 ईएफडी ने अपना कामकाज अप्रैल 2017 से शुरू किया। विभाग का मूल कार्य विनियम लागू करना है, जिनका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में स्थिरता, सार्वजनिक हितों में बेहतरी एवं उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.74 वर्ष के दौरान, प्रवर्तन योजना एवं फ्रेमवर्क लागू किए गए ताकि प्रवर्तन कार्रवाई एक निष्पक्ष, एक समान एवं पक्षपात-रहित ढंग से की जा सके। ईएफडी ने बैंक में जानकारी साझा करने के लिए एक प्रोटोकोल भी विकसित किया, और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में प्रवर्तन कार्रवाई भी शुरू की।

VI.75 जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान, ईएफडी ने 14 बैंकों (भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक सहित) के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए समग्र रूप से ₹1,024 मिलियन का दंड आरोपित किया, जिसके कारण निम्नलिखित थे - ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में विनियामक प्रतिबंधों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन करना, एसएफबी एवं भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंसिंग शर्तों व परिचालन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना, केवाईसी मानदंड़ों का उल्लंघन करना, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड़ों का उल्लंघन करना, सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग में विलंब करना, और साथ ही हुंडी दलाली (बिल डिस्काउंटिंग) एवं गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करना, जाली नोटों का पता लगाने और उसे जब्त करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करना तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बोनस शेयरों के निर्गमन के संबंध में मानदंड़ों का अनुपालन नहीं करना एवं परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संविभाग से प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री के संबंध में जारी विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं करना।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.76 आगे चलकर, यूसीबी और एनबीएफसी से जुड़े प्रवर्तन कार्य को चरणबद्ध रूप से ईएफडी के अंतर्गत लाया जा रहा है।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.77 सीईपीडी का काम विनियमित संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की निगरानी सुनिश्चित करना एवं बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना के प्रशासन और कार्य-पद्धति की जांच करना।

2017-18 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.78 23 फरवरी 2018 से, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना शुरू की, जिसमें आरंभिक तौर पर जमा स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी शामिल हैं। एनबीएफसी लोकपाल के कार्यालयों ने चार मेट्रो केंद्रों – चेन्नै, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली में कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रत्येक कार्यालय द्वारा संबंधित अंचल के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी के ग्राहकों की शिकायतों का निपटान किया जाता है।

VI.79 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित कपटपूर्ण बिक्री और शिकायतों को शिकायत करने का वैध कारण माने जाने की बात को शामिल करने के लिए इस योजना की समीक्षा की गई और इस संशोधन को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। बीओ योजना में किए गए संशोधन 1 जुलाई 2018 से प्रभावी हुए। लोकपाल के आर्थिक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय करने की बंदिशों को समाप्त किया गया और बीओ द्वारा क्षेतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत की जाने वाली राशि दोगुनी वृद्धि के साथ ₹2 मिलियन कर दिया गया। बैंकों की जवाबदेही को बढ़ाने के उपाय के रूप में, शोषण किए जाने/मानसिक यंत्रणा दिए जाने के संबंध में ₹0.1 मिलियन तक की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का विस्तार इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की शिकायतों तक किया गया, जो पहले सिर्फ क्रेडिट/ डेबिट कार्ड संबंधी शिकायतों पर ही लागू थीं।

VI.80 कपटपूर्ण बिक्री की प्रकृति एवं बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए प्रभारों का आकलन करने के लिए एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा केवाईसी के अनुपालन का अध्ययन किया गया, ताकि सभी वास्तविक ग्राहकों की सुरक्षा में वृद्धि की जा सके।

VI.81 रिज़र्व बैंक उपभोक्ता शिक्षण के लिए सतत प्रयासरत है। वर्ष 2017-18 के दौरान, रिज़र्व बैंक का एसएमएस हैंडल, *नामतः* - आरबीआई कहता है का प्रयोग फर्जी पेशकशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सुविधाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के लिए किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सभी बीओ कार्यालयों ने, मुख्य रूप से टिअर II शहरों में, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

VI.82 शिकायतों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र, शिकायत निवारण तंत्र की क्षमता को बेहतर करने की बैंक की पहल के तौर पर ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) महत्वपूर्ण हो गई है। तदनुसार, बैंकों और पात्र एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन विवाद निपटान तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसे 2018-19 में पूरा कर लिया जाएगा।

VI.83 बीओ के कार्यालयों में प्राप्त हो रही शिकायतों, जिसमें डिजिटल भुगतान शामिल हैं, और बैंक तथा गैर-बैंक जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की बढ़ती संख्या की वजह से डिजिटल लेनदेन के लिए एक अलग लोकपाल की स्थापना को अनिवार्य बना दिया है। रिज़र्व बैंक डिजिटल लेनदेन के संबंध में लोकपाल योजना बनाएगा और चुनिंदा केंद्रों पर डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल कार्यालय की स्थापना करेगा। रिज़र्व बैंक एनबीएफसी से संबंधित लोकपाल योजना की समीक्षा भी करेगा जिससे वर्ष के दौरान अन्य पात्र एनबीएफसी को उसके दायरे में लाया जा सके (बॉक्स VI.6)।

बॉक्स VI.6
बैंक के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना – एक दृष्टिकोण

विवाद समाधान की वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में लोकपाल

लोकपाल योजनाओं को वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र, में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण का मुख्य आधार माना जाता है। विवाद समाधान के इस वैकल्पिक मंच के गठन एवं वित्तपोषण के संबंध में सभी अधिकार-क्षेत्रों में भिन्नता पाई जाती है। यूके की तरह ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय लोकपाल योजना, न्यूज़ीलैंड की बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना एवं कनाडा की बैंकिंग सेवाओं और निवेश से संबंधित लोकपाल (ओबीएसआई) का वित्तपोषण उद्योग द्वारा किया जाता है, जबकि सिंगापुर का वित्त जगत विवाद निवारण केंद्र (एफआईडीआरईसी) वित्तपोषण के लिए विवाद में शामिल दोनों पक्षों, अर्थात - शिकायतकर्ता और संबंधित वित्तीय संस्था -दोनों से शुल्क लेता है। अमेरिका के उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (सीएफपीबी) को फेडरल रिज़र्व प्रणाली से सहयोग मिलता है।

बैंकिंग लोकपाल योजना की खास विशेषताएं

भारत में, बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) उपभोक्ता सुरक्षा के संबंधि में की गई प्रमुख पहल है। यह योजना रिज़र्व बैंक के तत्वाधान में कार्य करती है और इसलिए अपने परिचालनों के लिए यह ग्राहक या बैंक जगत के किसी निकाय पर निर्भर नहीं है। केंद्रीय बैंक के जुड़े होने के कारण, बीओएस बैंकों के ग्राहकों को निःशुल्क एवं शीघ्र शिकायत निवारण प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। बैंकिंग लोकपाल (बीओ), वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध तौर-तरीकों के बारे में जागरूकता लाने एवं उनके शिक्षण में भी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। वित्तीय लेनदेन के बदलते परिदृश्य के साथ कदम बढ़ाने के लिए, 1995 में बीओएस की स्थापना होने से लेकर अब तक पाँच बार संशोधन किए गए हैं। रिज़र्व बैंक ने 2018 में, बैंकों के ग्राहकों के लिए इस योजना को चलाने से मिले अनुभव के मद्देनज़र, एनबीएफसी के लिए भी लोकपाल योजना लागू किया।

आगे की राह

वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय लेनदेन के डिजिटल मोड से संबंधित शिकायतों की कुल शिकायतों में 19 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही। जून 2018 के अंत तक बढ़कर यह 28 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि, विशेष रूप से, 1 जुलाई 2017 से इस योजना के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग सेवा में खामियों को शिकायत के कारण के रूप में मान्य किए जाने की वजह से हुई। अन्य प्रमुख क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत डिजिटल वित्तीय लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग से लोकपाल योजना नहीं है, किंतु डिजिटल भुगतान जगत में गैर-बैंक सेवा प्रदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ ऐसी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति एवं जटिलता इस प्रकार की शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित लोकपाल योजना तैयार करने की जरूरत को रेखांकित करती है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.84 वित्तीय सुरक्षा के सबसे महत्वपर्ण स्तम्भों में से एक स्तंभ के रूप में निक्षेप बीमा प्रणाली जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखती है और फलस्वरूप वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। डीआईसीजीसी के निक्षेप बीमा के दायरे में सभी वाणिज्यिक बैंक आते हैं, जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी), भुगतान बैंक (पीबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) एवं सहकारी बैंक भी आते हैं। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,109 थी, जिसमें 160 वाणिज्यिक बैंक (इनमें 56 आरआरबी, 3 एलएबी, 5 पीबी एवं 10 एसएफबी शामिल हैं) एवं 1,949 सहकारी बैंक (33 राज्य सहकारी बैंक, 364 डसीसीबी और 1,552 यूसीबी) शामिल हैं। भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹0.1 मिलियन होने के साथ, मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या(1,898 मिलियन) खातों की कुल संख्या (2,063 मिलियन) का 92 प्रतिशत रही, जबकि इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानक[2] 80 प्रतिशत था। राशि के रूप में देखा जाए तो, मार्च 2018 के अंत की स्थिति के अनुसार, कुल बीमाकृत जमाराशि 33,135 बिलियन थी, जो मूल्यांकन-योग्य 118,279 बिलियन की जमाराशि के 28 प्रतिशत के तुल्य रही, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंड 20 से 30 प्रतिशत का है। 2017-18 के लिए वर्तमान स्थिति में बीमा सुरक्षा के संबंध में की गई गणना प्रति व्यक्ति आय की 0.9 गुना है।

VI.85 डीआईसीजीसी अपने अधिशेष के अंतरण के जरिए निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगने वाले निवल कर को घटाकर व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान एवं संबंधित व्यय) की तुलना में अधिशेष आय (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से प्राप्त ब्याज आय और असफल बैंकों की आस्तियों से वसूल की गई नकदी) का अंतरण किया जाता है। यह निधि उन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध होती है जिनका परिसमापन/समामेलन हुआ हो। 2017-18 के दौरान, निगम द्वारा ₹0.4 बिलियन के कुल दावे मंजूर किए गए जबकि विगत वर्ष ₹0.6 बिलियन की राशि मंजूर की गई थी। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, डीआईएफ का आकार ₹814.3 बिलियन रहा, जिसके कारण रिज़र्व अनुपात (डीआईएफ/ बीमाकृत जमाराशियां) 2.5 प्रतिशत हो गया।

VI.86 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए जारी की गई प्रभावी समाधान व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं के मुताबिक, प्रभावी समाधान व्यवस्था का उद्देश्य गंभीर प्रणालीगत बाधाओं के बगैर एवं कर दाताओं को हानि पहुंचाए बिना वित्तीय संस्थाओं के समाधान को व्यवहार्य बनाना है। समाधान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह प्रमुख आर्थिक कार्यों की भी सुरक्षा करे। यह सुरक्षा ऐसी प्रक्रियाओं के जरिए की जानी चाहिए जो शेयरधारकों और प्रतिभूतिरहित एवं गैर-बीमाकृत ऋणदाताओं को हानि वहन करने में मदद करे, जिसके अंतर्गत परिसमापन में दावों के पदानुक्रम का ध्यान रखा जाता हो। उबरने (बेल-इन) को वित्तीय संस्थाओं के समाधान के एक साधन के रूप में विकसित किया गया है (बॉक्स VI.7)।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.87 राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, आवास वित्त की एक शीर्ष संस्था के रूप में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को की गई थी। एनएचबी का प्राथमिक कार्य आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पंजीकरण, विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना है। एनएचबी की ₹14.5 बिलियन की समग्र पूंजी का अभिदान रिज़र्व बैंक ने किया। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, एनएचबी में 96 एचएफसी पंजीकृत थीं, जिनमें से 18 एचएफसी जनता की जमाराशियां स्वीकार करने की पात्र थीं।

VI.88 एनएचबी द्वारा एचएफसी, एससीबी, आरआरबी और सहकारी ऋण संस्थाओं को आवास ऋणों के लिए पुनर्वित्त भी प्रदान करता है, और साथ ही सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उधारकर्ताओं को सीधे उधार (परियोजना वित्तपोषण) भी देता है। वर्षों से एनएचबी का ध्यान सेवा से वंचित आबादी एवं अल्प

[2] अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (2013), "इन्हांस्ड गाइडेंस फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम्स : डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज", गाइडेन्स पेपर, मार्च। यह पेपर www.iadi.org पर उपलब्ध है।

बॉक्स VI.7
वित्तीय संस्थाओं के समाधान के उपाय के रूप में उन्हें उबारा जाना (बेल-इन) : सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा कमजोर वित्तीय संस्थाओं के समाधान के लिए व्यापक उपाय किए गए। 2010 में, अमेरिका ने डॉड-फ्रैन्क अधिनियम के तहत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान फ्रेमवर्क (रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क) की स्थापना की। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्यों के लिए जनवरी 2015 से उनके राष्ट्रीय कानून में बैंक बहाली एवं समाधान दिशा-निर्देश (बीआरआरडी) को स्थान दिया जाना अनिवार्य किया गया। इस नई प्रक्रिया का मुख्य घटक संस्थानों के उबरने (बेल-इन) का उपाय है, जिसके अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपना पुनर्पूंजीकरण करें और नुकसान की भरपाई आंतरिक संसाधनों से करें। यह उपाय 1 जनवरी 2016 से अनिवार्य किया गया।

विफल होने वाली वित्तीय संस्थाओं के समाधान के उपाय के रूप में उबरने (बेल-इन) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शेयरधारक और ऋणदाता नुकसान की भरपाई कर दाताओं के धन या सरकारी निधि का सहारा लिए बगैर करें। एफएसबी की प्रमुख विशेषताओं (एफएसबी 2014, 2017) के अनुसार उबरने (बेल-इन) से तात्पर्य समाधान प्राधिकारियों की शक्तियों से है, जो इस प्रकार हैं : (i) बट्टे खाते डालने का कार्य इस ढंग से किया जाए, जो परिसमापन के दावों के पदानुक्रम के अनुसार हो। इक्विटी या फर्म के मालिकाना हक से संबंधित लिखतों, गैर-प्रतिभूतिकृत एवं गैर-बीमाकृत ऋणदाताओं को उसी हद तक बट्टे खाते डाला जाए, जितना नुकसान की भरपाई करने के लिए जरूरी हो; (ii) समाधान के अंतर्गत गैर-प्रतिभूतिकृत एंव गैर-बीमाकृत ऋणदाताओं के सभी या कुछ दावों को फर्म के स्वामित्व वाली इक्विटी या अन्य लिखतों में इस प्रकार से परिवर्तित करना जो परिसमापन में दावों के पदानुक्रम का ध्यान रखता हो; (iii) ऐसी किसी भी आकस्मिक परिवर्तन-योग्य अथवा संविदाकृत उबारे जाने संबंधी (बेल-इन) लिखत, जिसकी मीयाद समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले पूरी नहीं हुई हो, को परिवर्तित करना या बट्टे खाते डालाना, और परिणामी लिखत के संबंध में उक्त (i) और (ii) के अनुरूप कार्रवाई करना।

यूरोपीय बीआरआरडी 2014 के अनुसार, उबरने (बेल-इन) का मुख्य लक्ष्य कमजोर बैंकों को मजबूती प्रदान करना है, ताकि उसकी आवश्यक सेवाओं को सरकारी निधियों से उबारे जाने (बेल-आउट) के बगैर जारी रखा जा सके। इस साधन के प्रयोग से प्राधिकारियों को देयताओं को बट्टे खाते डालने एवं/या उनको इक्विटी में बदलने के जरिए कमजोर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में मदद मिलती है, जिससे बैंक लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में कार्य जारी रख सकें। इससे वित्तीय प्रणाली पर बाधा को टाला जा सकेगा, और प्राधिकारियों को बैंकों के पुनर्निर्माण के लिए समय मिल जाता या उसके कारोबार के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित ढंग से बंद करना पड़ता, अन्यथा बैंक की महत्वपूर्ण सेवाओं में रुकावट या विघ्न पड़ने से बाधा उत्पन्न हो सकती थी; इसे 'खुले बैंक समाधान' के रूप में जाना जाता है। 'बंद बैंक समाधान' में बैंक के दो हिस्से, एक हिस्सा अच्छा बैंक या सेतु बैंक और दूसरा हिस्सा बुरा बैंक, कर दिए जाते हैं। अच्छे या सेतु बैंक को नई विधिमान्य संस्थान का दर्जा दिया जाता है, जो परिचालन जारी रखता है, और बुरे बैंक का परिसमापन कर दिया जाता है।

एकल समाधान प्रक्रिया विनियमन (एसआरएमआर) एवं बीआरआरडी के अनुसार, उन सभी देयताओं को उबरने (बेल-इन) के दायरे में लाया जा सकता है जिन्हें स्पष्ट रूप से उबरने (बेल-इन) के दायरे से बाहर नहीं किया गया हो। रक्षित जमाराशियों को इस प्रक्रिया के बाहर रखा जाना प्रमुख अपवाद है। समाधान प्राधिकरण (आरए) कतिपय देयताओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से उबरने (बेल-इन) से बाहर रख सकते हैं ताकि उन व्यापक संक्रामकताओं से बचा जा सके जो वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से, व्यक्तियों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों; के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। समाधान के साधनों का प्रयोग करते समय आरए को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई ऋणदाता की स्थिति परिसमापन के अंतर्गत होने वाली उसकी स्थिति से बदतर न होने पाए। अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) (2016) के अनुसार, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं को बहाल करने का लक्ष्य रखने वाले उबरने (बेल-इन) जैसे विशेष साधनों का प्रयोग लघु और मध्यम आकार वाली संस्थाओं पर नहीं किया जाना चाहिए।

नवंबर 2011 में, वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं (केए) को अपनाए जाने के बाद से एफएसबी द्वारा गठित संकट प्रबंध समूहों के प्राधिकारी फर्म-विशिष्ट के समाधान की कार्यनीति विकसित करने और विश्व में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए योजना बनाने में लगे हुए हैं। प्रभावी ढंग से उबरने (बेल-इन) में होने वाले लेनदेन को क्रियान्वित करने से जुड़ी विधिक एवं परिचालनात्मक जटिलताएं उभरकर आने वाली प्रमुख चुनौती रही है। प्रमुख विशेषताओं ने उन सामान्य शक्तियों का निर्धारण किया किया जो प्राधिकारियों के पास रेजल्यूशन के अंतर्गत उबरने (बेल-इन) के प्रयोजनार्थ होनी चाहिए। गौरतलब है कि उनमें परिचालनात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। एफएसबी के परामर्शी दस्तावेज में प्राधिकारियों के कार्य में सहयोग करने के संबंध में उबरने (बेल-इन) को लागू करने संबंधी कुछ सिद्धांत विचार करने हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। इन सिद्धान्तों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, उबरने (बेल-इन) के दायरे के अंतर्गत आने वाले लिखतों और देयताओं की पहचान करने की कार्रवाइयों और प्रक्रियाओं के प्रकार को समाहित किया गया है।

शोध में इस बात पर जोर दिया गया है कि उबरने (बेल-इन) का फ्रेमवर्क अभी भी विकसित हो रहा है, और अब तक के अनुभव सीमित होने के बावजूद यह महसूस किया गया है कि उबरने (बेल-इन) के साधन का प्रयोग किए जाने से निक्षेप बीमा ऐजन्सियों (डीआईए) (आईएडीआई 2015) को थोड़ा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। उबरने (बेल-इन) के लिए डीआईए निधियों के उपयोग से जुड़े जोखिम का उद्भव होने के कारण निम्नलिखित हैं – उबरने (बेल-इन) के बाद बैंकों के स्वामित्व के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन, निधियों का अनुचित प्रयोग, डीआईए के परिप्रेक्ष्य में महंगी समाधान कार्यनीति। इनके चलते, समाधान के अंतर्गत निधीयन किए जाने और उसके बाद बहाल की गई संस्था के विफल हो जाने की स्थिति में निक्षेप बीमा निधि समाप्त हो जाने से डीआईए की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है।

संदर्भ :

1. यूरोपीय आयोग (2014), ''ईयू बैंक रिकवरी एंड रिजॉल्यूशन डायरेक्टिव : फ्रीक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशचन्स'', अप्रैल।
2. फाइनैंशिअल स्टेबिलिटी बोर्ड (2014), ''की एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव रेजल्यूशन रिजीम फॉर फाइनैंसियल इंस्टीट्यूशन्स''।
3. फाइनैंशिअल स्टेबिलिटी बोर्ड (2017), ''प्रिंसिपल्स ऑन बेल-इन एक्जीक्यूशन'', कंसल्टेटिव डॉक्यूमेन्ट।
4. इन्टरनैशनल एसोसिएशन ऑफ डिपाजिट इन्श्युरर्स (आईएडीआई) (2015), '' डिपाजिट इंश्योरेंस एंड बेल-इन : इश्यूस एंड चैलेंजेज''।
5. आईएडीआई (2016), "ए हैंडबुक फॉर दी एसेसमेन्ट ऑफ कम्पलायन्स विद दि कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम्स, मार्च।

सेवा-प्राप्त समूहों के आवास कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता देने पर केंद्रित था। वर्ष 2017-18 (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक) में पुनर्वित्त के अंतर्गत किए गए ₹249.20 बिलियन के कुल संवितरण में से 8.08 प्रतिशत (18.28 बिलियन) हिस्सा ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) को दिया गया। एनएचबी ने सरकार के ''2022 तक सब के लिए आवास'' संबंधी मिशन के अंतर्गत ऋण सहबद्ध छूट योजना (सीएलएसएस) लागू करने के लिए एक नोडल ऐजन्सी के रूप में एनएचबी ने 30 जून 2018 तक (स्थापना होने के समय से) 138 प्राथमिक उधारदाता संस्थानों (पीएलआई) को ₹42.85 बिलियन के सब्सिडी दावों का भुगतान किया, जिससे 1,96,543 हाउसहोल्ड लाभान्वित हुए।

VI.89 एनएचबी द्वारा निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए आवास ऋणों के संबंध में गारंटी देने के उद्देश्य से निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए आवास हेतु प्रत्यय जोखिम गारंटी निधि न्यास की देख-रेख की जाती है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 80 पीएलआई ने न्यास के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया। 30 जून 2018 तक न्यास द्वारा 14 उधारदाता संस्थानों (एमएलआई), जो न्यास के सदस्य हैं, के 1977 ऋण खातों को सुरक्षा गारंटी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह वाले हाउसहोल्ड के लिए ₹562.40 मिलियन की कुल ऋण राशि शामिल है।